

कमांक:एमपीआईडीसी/क्षे.का.ग्वा./भूप्र.मालनपुर/2023/ 567

ग्वालियर, दिनांक 03 MAY 2023

प्रति,

मेसर्स मांतगी रबर प्रा.लि.,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री तनमय महेश्वरी

पंजीकृत कार्यालय डी- 151 ए, जी.एफ. डिफेन्स, कॉलोनी, न्यू दिल्ली-110024

विषय :-

इकाई को औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर जिला भिण्ड में आवंटित भूखण्ड कमांक : 78, क्षेत्रफल 16682.00 वर्गमीटर के पट्टेदारी अधिकारों को अभिहस्तांकित (Assignment of Leasehold rights) करने की अनापत्ति के संबंध में।

संदर्भ :-

इकाई का पत्र दिनांक 02.05.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपने पत्र दिनांक 02.05.2023 द्वारा वित्तीय संस्था State Bank of India, S.M.E. NEPZ Branch Noida, NSEZ, Phase-II, Noida Distt. Gautambudh Nagar (U.P.)-201305 के पक्ष में पट्टेदारी अधिकारों को अभिहस्तांकित करने की अनुमति मांगी है।

आपके द्वारा निष्पादित मूल पट्टाभिलेख व संशोधित पट्टाभिलेख जो कि उप पंजीयक कार्यालय गोहद में पंजीकृत है, मूल पट्टाभिलेख की कंडिका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर जिला भिण्ड में इकाई को आवंटित भूखण्ड : 78 क्षेत्रफल 16682 वर्गमीटर की भूमि के पट्टेदारी अधिकारों को वित्तीय संस्था संस्था State Bank of India, S.M.E. NEPZ Branch Noida, NSEZ, Phase-II, Noida Distt. Gautambudh Nagar (U.P.)-201305 के पक्ष में द्वितीय प्रणार हेतु अभिहस्तांकित (Assignment) करने की अनापत्ति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. वित्तीय संस्था State Bank of India, S.M.E. NEPZ Branch Noida, NSEZ, Phase-II, Noida Distt. Gautambudh Nagar (U.P.)-201305 को दी जा रही पट्टेदारी अधिकारों के अभिहस्तांकित (Assignment of Leasehold rights) की अनापत्ति इकाई को औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर जिला भिण्ड में आवंटित भूखण्ड कमांक 78 क्षेत्रफल 16682 वर्गमीटर पर संचालित इकाई की औद्योगिक गतिविधि हेतु प्रदाय किये जाने वाले ऋण के लिये ही मान्य होगी।
2. प्रश्नाधीन भूमि शासन के स्वामित्व व हक की है। वित्तीय संस्थाओं को उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की भूमि पर उतना ही पट्टाधिकार अभिहस्तांकन होगा जितना कि पट्टाग्रहिता (औद्योगिक इकाई) का रहता है।
3. औद्योगिक इकाई द्वारा पट्टे की भूमि पर प्राप्त पट्टाधिकारी अधिकार को अभिहस्तांकन मात्र से राज्य शासन की भूमि पर स्वामित्व समाप्त नहीं हो जाता है। वित्तीय संस्था द्वारा लीज पर इकाई को आवंटित औद्योगिक भूमि का अन्तरण किसी भी दशा में किसी अन्य को नहीं किया जा सकता है।
4. ऋण की वसूली हेतु वित्तीय संस्था द्वारा लीज पर आवंटित भूमि पर निर्मित परिसम्मितियों का विक्रय औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्धारित शर्तों पर किया जावेगा। केता के पक्ष में भूमि के पट्टे का अन्तरण शेष पट्टावधि के लिये म.प्र. शासन/ एमपीआईडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर द्वारा किया जा सकेगा।
5. वित्तीय संस्था द्वारा इकाई से वसूली की कार्यवाही करने के कम से कम तीन माह पूर्व कार्यकारी संचालक एमपीआईडीसी, ग्वालियर को सूचना पत्र देना होगा।

प्रभारी कार्यकारी संचालक

कमांक:एमपीआईडीसी/क्षे.का.ग्वा./भूप्र.मालनपुर/2023/

ग्वालियर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

The Relationship Manager- SME, State Bank of India, S.M.E. NEPZ Branch Noida (09837), NSEZ, Phase-II, Noida Distt. Gautambudh Nagar (U.P.)-201305 का पत्र दिनांक 27.04.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी कार्यकारी संचालक

E:\FDRIVE\sourabh\parashar ji\Bank Letter NOdo.docx

कमांक:एमपीआईडीसी/क्षे.का.ग्वा./भू.प्र.मालनपुर/2023/ 567

ग्वालियर, दिनांक 03 MAY 2023

प्रति,

मैसर्स मांतगी रबर प्रा.लि.,
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री तनमय महेश्वरी
पंजीकृत कार्यालय डी- 151 ए, जी.एफ. डिफेन्स, कॉलोनी, न्यू दिल्ली-110024

विषय :- इकाई को औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर जिला भिण्ड में आवंटित भूखण्ड कमांक : 78, क्षेत्रफल 16682.00 वर्गमीटर के पट्टेदारी अधिकारों को अभिहस्तांकित (Assignment of Leasehold rights) करने की अनापत्ति के संबंध में।

संदर्भ :- इकाई का पत्र दिनांक 02.05.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपने पत्र दिनांक 02.05.2023 द्वारा वित्तीय संस्था State Bank of India, S.M.E. NEPZ Branch Noida, NSEZ, Phase-II, Noida Distt. Gautambudh Nagar (U.P.)-201305 के पक्ष में पट्टेदारी अधिकारों को अभिहस्तांकित करने की अनुमति मांगी है।

आपके द्वारा निष्पादित मूल पट्टाभिलेख व संशोधित पट्टाभिलेख जो कि उप पंजीयक कार्यालय गोहद में पंजीकृत है, मूल पट्टाभिलेख की कंडिका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर जिला भिण्ड में इकाई को आवंटित भूखण्ड : 78 क्षेत्रफल 16682 वर्गमीटर की भूमि के पट्टेदारी अधिकारों को वित्तीय संस्था संस्था State Bank of India, S.M.E. NEPZ Branch Noida, NSEZ, Phase-II, Noida Distt. Gautambudh Nagar (U.P.)-201305 के पक्ष में द्वितीय प्रभार हेतु अभिहस्तांकित (Assignment) करने की अनापत्ति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. वित्तीय संस्था State Bank of India, S.M.E. NEPZ Branch Noida, NSEZ, Phase-II, Noida Distt. Gautambudh Nagar (U.P.)-201305 को दी जा रही पट्टेदारी अधिकारों के अभिहस्तांकित (Assignment of Leasehold rights) की अनापत्ति इकाई को औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर जिला भिण्ड में आवंटित भूखण्ड कमांक 78 क्षेत्रफल 16682 वर्गमीटर पर संचालित इकाई की औद्योगिक गतिविधि हेतु प्रदाय किये जाने वाले ऋण के लिये ही मान्य होगी।
2. प्रश्नाधीन भूमि शासन के स्वामित्व व हक की है। वित्तीय संस्थाओं को उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की भूमि पर उतना ही पट्टाधिकार अभिहस्तांकन होगा जितना कि पट्टाग्रहिता (औद्योगिक इकाई) का रहता है।
3. औद्योगिक इकाई द्वारा पट्टे की भूमि पर प्राप्त पट्टाधिकारी अधिकार को अभिहस्तांकन मात्र से राज्य शासन की भूमि पर स्वामित्व समाप्त नहीं हो जाता है। वित्तीय संस्था द्वारा लीज पर इकाई को आवंटित औद्योगिक भूमि का अन्तरण किसी भी दशा में किसी अन्य को नहीं किया जा सकता है।
4. ऋण की वसूली हेतु वित्तीय संस्था द्वारा लीज पर आवंटित भूमि पर निर्मित परिसम्पत्तियों का विक्रय औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्धारित शर्तों पर किया जावेगा। क्रेता के पक्ष में भूमि के पट्टे का अन्तरण शेष पट्टावधि के लिये म.प्र. शासन/ एमपीआईडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर द्वारा किया जा सकेगा।
5. वित्तीय संस्था द्वारा इकाई से वसूली की कार्यवाही करने के कम से कम तीन माह पूर्व कार्यकारी संचालक एमपीआईडीसी, ग्वालियर को सूचना पत्र देना होगा।

कमांक:एमपीआईडीसी/क्षे.का.ग्वा./भू.प्र.मालनपुर/2023/ 568
प्रतिलिपि :-

प्रभारी कार्यकारी संचालक
ग्वालियर, दिनांक 03 MAY 2023

✓ The Relationship Manager- SME, State Bank of India, S.M.E. NEPZ Branch Noida (09837), NSEZ, Phase-II, Noida Distt. Gautambudh Nagar (U.P.)-201305 का पत्र दिनांक 27.04.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

13-3/5/23
प्रभारी कार्यकारी संचालक

E:\FDRIVE\sourabh\parashar ji\Bank Letter NOdo.docx